न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी :– मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण नं0 115/2020 (GCMS: 2020/00224) दायरा दिनांक 26.08.2020

सुनिन्द्रजीतसिंह पुत्र श्री हरमेशसिंह जाति मेघवंशी निवासी गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– वादी

बनाम

1. हरमेशसिंह पि.मु. सरजीतकौर पत्नी गुरनामसिंह जाति मेघवंशी निवासी गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. हरपालकौर पत्नी हरमेशसिंह जाति मेघवंशी निवासी गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. परमजीतकौर पुत्री हरमेशसिंह जाति मेघवंशी निवासी गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राज.) सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए.

उपस्थित :–

1. श्री जसवीरसिंह बराड़ एडवोकेट – वादी
2. श्री राहुल शर्मा एडवोकेट – प्रतिवादी नं. 1 ता 3
3. पेरोकार राज नायब तहसीलदार – प्रतिवादी नं 3

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 28.09.2020**

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादी ने यह दावा पेशकर निवेदन किया कि प्रतिवादी नं. 1 हरमेशसिंह के नाम से वाके चक 27 एम.ओ.डी. (बी). की जमाबन्दी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता संख्या 67/59 के पत्थर नं. 13/269 (9) के किला नं. 11 ता 25 = 3.795 हैक. नहरी कृषि भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रतिवादी नं. 1 ने उक्त जैर प्रकरण रकबा में से चक 27 एम.ओ.डी. (बी). के पत्थर नं. 13/269 (9) के किला नं. 11 ता 15 = 1.265 हैक. नहरी कृषि भूमि का जरिये बैयनामा दिनांक 18.08.2020 को समीर कुमार पुत्र श्री भंवरलाल के पक्ष में निष्पादित करवा दिया है व शेष किला नं. 16 ता 25 = 2.530 हैक. रकबा प्रतिवादी नं. 1 के नाम बचा है। जबकि उक्त जैर प्रकरण रकबा

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:16:09 IST
Reason: SelfAttested

पैतृक सम्पति है। पैतृक सम्पति में पिता/पुत्र/पुत्री व पत्नी का बराबर–बराबर हक व हिस्सा बनता है। प्रतिवादी नं. 1 ने अपने हिस्से में आये रकबा से अधिक का बैचान कर दिया है व प्रतिवादी नं. 2 व 3 अपना हक व हिस्सा उक्त रकबा में नही लेना चाहती है। इसलिए प्रतिवादी नं. 1 के नाम शेष 2.530 हैक. रकबा में वादी चक 27 एम.ओ.डी. (बी). के पत्थर नं. 13/269 (9) के किला नं. 16 ता 22 = 1.771 हैक. नहरी कृषि भूमि का घोषणात्मक दावा पेश किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नं 1 से 3 की तरफ से श्री राहुल शर्मा एडवोकेट हाजिर आये व जबाब इकबाल दावा पेश किया। जबाब इकबाल दावा शामिल पत्रावली किया गया। जबाब स्टेट नही होने पर जबाब स्टेट बन्द किया गया। वादी ने साक्ष्यवादी ब्यान शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल रहे। जिरह वकील प्रतिवादी NILL रही। वकील वादी साक्ष्य वादी और नही कराना चाहते है। साक्ष्य वादी बन्द किये जाते है। वकील प्रतिवादी साक्ष्य प्रतिवादी नही कराना चाहते है। साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किये जाते है। वकील वादी व प्रतिवादीगण बहस सुनी गई।

अधिवक्तागण की बहस सुनी जाने के पश्चात पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से यह साबित है कि वादी द्वारा वाके चक 27 एम.ओ.डी. (बी). की जमाबन्दी सम्वत् 2072 ता 75 के खाता संख्या 67/59 के पत्थर नं. 13/269 (9) के किला नं. 11 ता 25 = 3.795 हैक. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। उक्त रकबा में से चक 27 एम.ओ.डी. (बी). के पत्थर नं. 13/269 (9) के किला नं. 11 ता 15 = 1.265 हैक. नहरी कृषि भूमि का जरिये बैयनामा दिनांक 18.08.2020 को समीर कुमार पुत्र श्री भंवरलाल के पक्ष में निष्पादित करवा दिया है। इसलिए प्रतिवादी नं. 1 के नाम शेष 2.530 हैक. रकबा में वादी चक 27 एम.ओ.डी. (बी). के पत्थर नं. 13/269 (9) के किला नं. 16 ता 22 = 1.771 हैक. नहरी कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी नं. 1 के नाम 2.530 हैक. रकबा में से चक 27 एम.ओ.डी. (बी). के पत्थर नं. 13/269 (9) के किला नं. 16 ता 22 = 1.771 हैक. नहरी भूमि कलमजन की जाकर वादी के नाम जोड़ी जावे।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:16:09 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी के नाम चक 27 एम.ओ.डी. (बी). के पत्थर नं. 13/269 (9) के किला नं. 16 ता 25 = 2.530 हैक. नहरी में से चक 27 एम.ओ.डी. (बी). के पत्थर नं. 13/269 (9) के किला नं. 16 ता 22 = 1.771 हैक. नहरी भूमि कलमजन की जाकर वादी के नाम जोड़ी जावे। व राजस्व रिकार्ड मे इसी अनुसार अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक जिलाधीश
सूरतगढ़

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:16:09 IST
Reason: SelfAttested

—: डिकी ब मुक्दम इख्तदाई :—
(ओ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
बअदालत उपखण्ड अधिकारी एंव उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़
बइजलास — मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

सुनिन्द्रजीतसिंह पुत्र श्री हरमेशसिंह जाति मेघवंशी निवासी गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

— वादी

बनाम

1. हरमेशसिंह पि.मु. सरजीतकौर पत्नी गुरनामसिंह जाति मेघवंशी निवासी गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. हरपालकौर पत्नी हरमेशसिंह जाति मेघवंशी निवासी गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. परमजीतकौर पुत्री हरमेशसिंह जाति मेघवंशी निवासी गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 209 आरटीए मुकदमा नं. 115/2020 यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कितई रूबरू हमारे हाजिर वकील वादी श्री जसवीरसिंह बराड़ व वकील प्रतिवादी नं. 1 ता 3 की और से श्री राहुल शर्मा पेश होने पर हुक्म दिया जाता है व डिकी जारी की जाती है कि :—

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी के नाम चक 27 एम.ओ.डी. (बी). के पत्थर नं. 13/269 (9) के किला नं. 16 ता 25 = 2.530 हैक्. नहरी में से चक 27 एम.ओ.डी. (बी). के पत्थर नं. 13/269 (9) के किला नं. 16 ता 22 = 1.771 हैक्. नहरी भूमि कलमजन की जाकर वादी के नाम जोड़ी जावे। व राजस्व रिकार्ड मे इसी अनुसार अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आज ....x........... मुबलिग ....x.......... बाबत् ....x.......... खर्चा इस मुकदमें मय शूद्व बशरह ....x........... कस्दो की पालना ....x..........आज कि तारीख से तारीख बसूलया वो ताकी अदा करे

बसिब्त मेंरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 28.09.2020 को जारी की गयी।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
(राज०)
सूरतगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:16:09 IST
Reason: SelfAttested